मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 30 जुलाई, 1998 (श्रावण 8, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, ग्रामोद्योग मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का दिनांक 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लेखाओ का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(3) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, आर.टी.सी.एक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 1995-96 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(4) श्री बिसाहू लाल सिंह, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज़ एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री चिरोंजीलाल सोनकर, मनोहरलाल राठौर, गिरिराज मंडलोई, सदस्य, विदिशा, टिमरनी एवं खंडवा क्षेत्र में कृषकों को सोयाबीन का घटिया बीज प्रदाय करने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, बालाघाट जिले के दक्षिण वन मंडल में विभिन्न कार्यों में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति/स्वीकृति

श्री अरुण वोरा, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे: -

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है".

5. वर्ष 1998-99 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

निर्धारित समय

"दिनांक 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,32,34,36,41,42,43,44,45,47,51,54,55,56,57,61,63,64,65,66,67,72,75,76,77,79,80,81,82,84 एवं 87 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन सौ तिरसठ करोड़, छिहत्तर लाख, पचासी हजार, एक सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

3 घन्टे

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 1998 (क्रमांक 25 सन् 1998) का पुरस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (शेष 20 मि.)

प्रदेश में हैजा, मलेरिया, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर, गलघोटू आदि संक्रामक बीमारियों के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

भोपाल :
दिनांक : 29 जुलाई, 1998

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

---

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.